न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 217/2019

आदर्श को–ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, शाखाः आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि0,
गोपाल बिल्डिंग के पास, अजमेर रोड, मदनगंज,
किशनगढ–305801 राजस्थान।

..........**प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1) मैसर्स डोरिया वस्त्रागार प्रो0 श्री गोविंद प्रसाद बाहेती पुत्र श्री रामानन्द बाहेती जी,
पताः– कटला मार्केट मदनगंज, किशनगढ–305801, जिला अजमेर (राज0)
(2) श्री ब्रिज मोहन बाहेती पुत्र श्री रामानन्द बाहेती जी (जमानती)
पताः– मित्रा निवासी कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ–305801, जिला अजमेर (राज0)
(3) श्री अशोक कुमार बेनावट पुत्र श्री रतन लाल जी (जमानती),
पताः– अग्रसेन भवन, 155, चंदा कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ–305801,
जिला अजमेर (राज0)

....................**अप्रार्थीगण/ऋणी**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक — प्राधिकृत अधिकारी

आदेश — **दिनांक 12.12.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 03 को दिनांक 11.11.2013 को रू. 20,00,000/– (अक्षरे बीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर कटला बाजार, मदनगंज, किशनगढ–305801 जिला अजमेर (राजस्थान) स्थित तीन मंजीला निर्मित आवासीय सम्पत्ति, क्षैत्रफल 459.37 वर्ग फुट, जिसमें सीढियों से पश्चिम दिशा तरफ से तीन मंजिला जायदाद में प्रथम मंजिला पर दो कमरे, दुसरे तल पर दो कमरे एवं तीसरी मंजिल पर एक कमरा एवं पूर्व दिशा का आधा बसेरा जिसका पंजीयन कार्यालय अजमेर–। में दिनांक 30.05.2012 को बुक सं0 03, जिल्द संख्या 15 पृष्ठ सं0 72, क0सं0 2012000031 से पंजीयन किया गया था। जो कि श्री गोविंद प्रसाद बाहेती पुत्र श्री रामानन्द बाहेती जी के नाम से है, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– उत्तर मेंः– पब्लिक चोक कटला बाजार, दक्षिण मेः–सर्विस लेन, पूर्व मेंः– ब्रिजमोहन बहेती की सम्पत्ति, पश्चिमः– गब्बुबाई अग्रवाल की सम्पत्ति है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 30.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–19,48,147.48/–(अक्षरे उन्नीस लाख अडतालीस हजार एक सौ सेतालीस एवं अडतालीस पैसा मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाव संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्र्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्र्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्र्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्राथीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति कटला बाजार, मदनगंज, किशनगढ–305801 जिला अजमेर (राजस्थान) स्थित तीन मंजीला निर्मित आवासीय सम्पत्ति, क्षैत्रफल 459.37 वर्ग फुट, जिसमें सीढियों से पश्चिम दिशा तरफ से तीन मंजिला जायदाद में प्रथम मंजिला पर दो कमरे, दुसरे तल पर दो कमरे एवं तीसरी मंजिल पर एक कमरा एवं पूर्व दिशा का आधा बसेरा जिसका पंजीयन कार्यालय अजमेर–। में दिनांक 30.05.2012 को बुक सं0 03, जिल्द संख्या 15 पृष्ठ सं0 72, क्र0सं0 2012000031 पर पंजीयन किया गया था। जो कि श्री गोविंद प्रसाद बाहेती पुत्र श्री रामानन्द बाहेती जी के नाम से है, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार है:–उत्तर में:–पब्लिक चोक कटला बाजार, दक्षिण मे:–सर्विस लेन, पूर्व में:– ब्रिजमोहन बहेती की सम्पत्ति, पश्चिमः–गब्बुबाई अग्रवाल की सम्पत्ति है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 12.12.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner